11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11 प्रशांक 1362 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, सितम्बर 27 /2017

सेवा में.

वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौडी।

विषय:-

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पड़ेरगांव से पेरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 10.710 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकस विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोड़ल अधिकारी वन संरक्षण का पत्रांक 3920 / FU/UK/ROAD/12704/2017 दिनांक 27.06.2017

महोदय,

आपके उपयुक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय किमयां पायी गई, के क्रम में अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लो०नि०वि० कर्णप्रयाग के पत्रांक 543/19सी०/पी०एम०जी०एस०वाई०/2016—17 दिनांक 05.09.2017 से प्राप्त ऑनलाईन किमयों क्र0स0 01 से 04 व ऑफलाईन किमयों क्र0सं० 5 से 19 तक का निराकरण निम्नानुसार किया गया है:—

| क्र.सं | ऑनलाईन ई०डी०एस० आपत्ति  | आपत्तियों का निराकरण  |
|--------|---|---|
| 1.     | The reply of point No. 1 &2 of EDS regarding C/B anlaysis is not satisfactory. The monetury figures given in the Cost Benefit Ratio Calculation Sheet (Formate-29) have not been shown in the Annexure-VI(b): Parameters for evaluation of loss of forests and Annexure-VI(c): Parameters in Annexure-VI(b) & Annexure-VI (C) are quantified and expressed in monetary terms.   | (Answer point no-1 & 2 of eds)<br>उक्त आपिता का निराळरण कर पार्ट । G (i) (a) में<br>अपलोड कर दिया गया है। याचक विभाग की पन्न संत<br>543/19 सी0/पी0एभ0जी0एस0वाई0/2016—17 दिनांक<br>05.09.2017 से प्रस्ताव में पेज न0 45, 46 व 47 में संलयन<br>किया गया है। |
| 2.     | State govt, was requirested to submit hard copy of the proposal in point no-3 of EDS, but the hard copy of the proposal has not been submitted to this office so far. The letter of the user Agency referred to in the reply is addressed to the Nodel officer and not to this office.  | (Answer point no-2 of eds)<br>ईंग्डींग्रस्ता बिन्दु 3 के क्रम में प्रस्ताव की हार्ड कापी तीन<br>प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।  |
| 3.     | In reply to point No-8 of EDS, it is metioned that the revised geo-referenced digital map for the forest land proposed for diversion has been uploaded in para-C(iv) of online Part-1, But, the geo-corrdinates for 5 points only are given in the map that too hand written. State Govt, may submit the geo-referenced digital map for the forest land proposed for diversion showing geo-coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment of the proposed road including all turning point (Curves) both in hard and soft copy (.shp file.) | (Answer point no-3 of eds) ईं0डी०एस० बिन्दु सं० ४ के क्रम में जी०ओ० खिजिटल मैच<br>व .Shp file स'१०डीं० सापट कापी में नोडल अधिकारी<br>कार्यालय में याचक विभाग के पत्रांक 223/19 सी०<br>दिनाक 16.06.2017 से पत्र वाहक के मध्यम से जमा कर<br>दी गई है।       |
| 4.     | The text and the data given at sr. no-16 at para-4 of online Part-II is creating confusion in the number of trees which may be reviewed.  | (Answer point no-4 of eds)<br>पार्ट ।। के पैरा नं0 4(ii) में वृक्षों की सूची सही अंकित<br>कर दी गई है।  |
| 5.     | प्रस्ताव में संलग्न बिना भरे प्रपन्नों को भरकर प्रस्ताद<br>में संलग्न करें।   | प्रस्ताव में संलग्न बिना भरे प्रपन्नों को भरकर प्रस्ताव<br>में पेज नम्बर 4, 7, 8 पर संलग्न किया गया।  |
| 6.     | वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण-पत्र,<br>न्यूनतम भूमि होने के प्रमाण-पत्र तथा लैण्ड शेड्यूल<br>के प्रपत्रों में जिलाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।  | वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण-पत्र,<br>न्यूनतम भूमि होने के प्रमाण-पत्र तथा लैण्ड शेड्यूल<br>के प्रपत्रों में जिलाधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर<br>प्रस्ताव के पेज नम्बर 23, 24, 25 पर संलग्न किया<br>गया है।  |
| 7.     | प्रस्ताव में बाज वृक्ष प्रभावित होने के फलस्वरूप वन<br>संरक्षक की स्थल निरीक्षण आख्या संलग्न करें।  | प्रस्ताव में बांज वृक्ष प्रभावित होने के फलस्वरूप वन<br>सरक्षक की स्थल निरीक्षण आख्या व<br>Recommendation प्रस्ताव में संलग्न किया गया<br>है।   |
| 8.     | प्रस्ताव में मानचित्रों को चस्पा किये जाने के स्थान<br>पर खुले रूप में रखा गया है। अत मानचित्रों को<br>सही स्थान पर चस्पा किया जाय।   | प्रस्ताव में मानचित्रों को पेज नं0 20, 21, 75, 76<br>पर चस्पा कर संलग्न कर दिया गया है।   |

| 9.  | प्रस्ताव पडेरगांव से पैरी तक प्रस्तावित है, जबकि<br>क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र में रामणी से पैरी तक<br>का उल्लेख है। अतः परियोजना के अनुसार नाम<br>अंकित किया जाय।   | प्रस्ताव पडेरगांव से पैरी तक प्रस्तावित है, जबिक<br>क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र में रामणी से पैरी तक<br>का उल्लेख है। जिसे सही कर पडेरगांव पैरी कर<br>दिया गया है।  |
|-----|---|---|
| 10. | क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रमुख वन संरक्षक,<br>उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित वर्तमान दर के अनुसार<br>बनाकर संलग्न करें।   | क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रमुख वन संरक्षक,<br>उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित वर्तमान दर के अनुसार<br>बनाकर प्रस्ताव में पेज नंध 77 पर संलग्न कर दिया<br>गया है।   |
| 11. | क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में प्रस्तावति स्थलों का<br>क्षेत्रफल सहित नाम अंकित किया जाय।   | क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में प्रस्तावति स्थलों का<br>क्षेत्रफल सहित नाम अंकित कर प्रस्ताव में पेज नं0<br>78 पर संलग्न कर दिया गया है।   |
| 12. | क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु तीन स्थलों का चयन किया<br>गया है, जबकि उपयुक्तता प्रमाण-पत्र दो स्थलों का<br>ही दिया गया है। अतः तीनों स्थलों का प्रभागीय<br>वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त उपयुक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न<br>करें। | क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेलु तीन स्थलों का चयन किया<br>गया है, जबकि उपयुक्तता प्रमाण-पत्र दो स्थलों<br>का ही दिया गया है। अतः तीनों स्थलों का<br>प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त उपयुक्तता<br>प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में पेज नंठ 76 पर संलग्न कर<br>दिया गया है। |
| 13. | एन)पी0वी प्रमाण-पत्र में ईको-क्लास एवं डेनसीटी<br>का उल्लेख करते हुए एन)पी0वी0 आंकलन<br>प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय।  | एन०पी०वी प्रमाण-पत्र में ईको-क्लास एवं डेनसीटी<br>का उल्लेख करते हुए एन०पी०वी० आंकलन<br>प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में पंज नं० 110 व 111 पर<br>संलग्न कर दिया गया है।   |
| 14. | मक डिस्पोजल हेतु पूर्ण विवरण एवं दस्तावेज प्रस्ताव<br>में संलग्न करें।  | मक डिस्पोजल हेतु पूर्ण विवरण एवं दस्तावेज<br>प्रस्ताव में पेज नं0 80 से 102 तक संलग्न कर<br>दिया गया है।  |
| 15. | एफ०आर०ए० के पूर्ण दस्तावेज प्रस्ताव में संलग्न करें।  | एफ०आ२०ए० के पूर्ण दस्तावेज प्रस्ताव में पेज नं0<br>36 पर संलग्न कर दिया गया है।   |
| 16. | लागत लाभ विश्वलेषण मात्रात्मक रूप में भरकर<br>प्रस्ताव में संलग्न करें।   | लागत लाभ विशलेषण मात्रात्मक रूप में भरकर<br>प्रस्ताव में पेज नं0 45, 48 व 47 पर संलग्न कर<br>दिया गया है।   |
| 17. | बार—चार्ट के अनुसार प्रस्तावित मार्ग से पूर्व निर्मित<br>मोटर मार्ग के भारत सरकार की स्वीकृति प्रस्ताव में<br>सलग्न करें।   | बार—चार्ट के अनुसार प्रस्तावित मार्ग से पूर्व निर्मित<br>मोटर मार्ग के भारत सरकार की स्वीकृति प्रस्ताव में<br>पेज नं0 2 से 9 तक एवं पेज नं0 27 पर संलम्न<br>कर दिया गया है।   |
| 18. | प्रस्ताव में सलग्न प्रपत्रों की विषय सूची सलग्न करें<br>एवं प्रपत्रों को क्रमवार लगाकर विषय सूची में पेंज   | प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्रों की विषय सूची संलग्न कर<br>दिये गये हैं। प्रपत्रों को क्रमवार सूची से पेज संख्या   |
|     | संख्या भी अंकित कर संलग्न करें।   | सही तरह से अंकित कर संलग्न कर दिया गया है।  |

अतः उक्त प्रस्ताव में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- प्रस्ताव की तीन प्रतियां।

(एन०एन० पाण्डेय) प्रभागीय वनाधिकारी,

भवदीय,

बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्तर।

पत्रांक दिनांकित।

अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लो०नि०वी० कर्णप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कि जक्त प्रस्ताव की तीन प्रतियां में बांज वृक्ष प्रपत्र में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी के हस्ताक्षर करवाकर अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून के कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें

> (एन०एन० पाण्डेय) प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।